

श्रम और रोजगार मंत्रालय

मांग संख्या 64

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	12903.72	26.10	12929.82	13269.37	37.13	13306.50	14224.52	24.20	14248.72	16846.37	47.31	16893.68
<i>वसूलियां</i>	-9.45	...	-9.45	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>प्राप्तियां</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>12894.27</b>	<b>26.10</b>	<b>12920.37</b>	<b>13269.37</b>	<b>37.13</b>	<b>13306.50</b>	<b>14224.52</b>	<b>24.20</b>	<b>14248.72</b>	<b>16846.37</b>	<b>47.31</b>	<b>16893.68</b>
क. निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय	63.88	...	63.88	77.00	...	77.00	71.10	...	71.10	83.60	...	83.60
2. श्रम व्यूरो	24.41	...	24.41	26.77	0.03	26.80	27.00	0.02	27.02	30.38	0.03	30.41
3. मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य व्यय	86.75	13.28	100.03	91.00	23.00	114.00	96.28	10.78	107.06	101.49	6.39	107.88
4. कारखाना सलाह सेवा महा निदेशालय (डीजीएफएसएलआई)	25.61	2.89	28.50	26.24	3.80	30.04	26.48	3.80	30.28	29.30	20.20	49.50
5. खान सुरक्षा महा निदेशालय (डीजीएमएस)	76.77	1.35	78.12	74.00	1.50	75.50	78.35	1.50	79.85	86.29	11.00	97.29
6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	27.43	...	27.43	26.00	...	26.00	25.80	...	25.80	27.00	...	27.00
7. रोजगार महानिदेशालय	46.00	7.98	53.98	50.35	7.70	58.05	49.20	7.20	56.40	56.30	8.19	64.49
8. श्रम कल्याण महानिदेशालय	135.02	0.23	135.25	142.61	0.50	143.11	145.36	0.30	145.66	157.61	1.40	159.01
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>485.87</b>	<b>25.73</b>	<b>511.60</b>	<b>513.97</b>	<b>36.53</b>	<b>550.50</b>	<b>519.57</b>	<b>23.60</b>	<b>543.17</b>	<b>571.97</b>	<b>47.21</b>	<b>619.18</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
9. श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस)	23.26	...	23.26	150.00	...	150.00	90.00	...	90.00	89.00	...	89.00
10. श्रम कल्याण योजनाएं	55.30	0.31	55.61	149.50	0.50	150.00	118.50	0.50	119.00	120.00	...	120.00
<b>श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं</b>												
11. असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय मंच का निर्माण तथा आधार संबद्ध पहचान संख्याएं आबंटित करना	45.50	...	45.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12. असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा योजना	...	...	...	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
13. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995	7519.01	...	7519.01	7364.00	...	7364.00	7364.00	...	7364.00	8485.00	...	8485.00
14. असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	27.38	...	27.38	60.00	...	60.00	50.00	...	50.00	60.00	...	60.00
15. प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन	319.71	...	319.71	400.00	...	400.00	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00
16. प्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन	5.94	...	5.94	150.00	...	150.00	1.00	...	1.00	50.00	...	50.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
17. प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना	2567.83	...	2567.83	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना	405.00	...	405.00	3130.00	...	3130.00	5000.00	...	5000.00	6400.00	...	6400.00
19. असंगठित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस	...	...	...	150.00	...	150.00	280.00	...	280.00	500.00	...	500.00
<b>जोड़-श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं</b>	<b>10890.37</b>	...	<b>10890.37</b>	<b>11254.10</b>	...	<b>11254.10</b>	<b>13045.10</b>	...	<b>13045.10</b>	<b>15845.10</b>	...	<b>15845.10</b>
20. स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना	42.54	...	42.54	120.00	...	120.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>11011.47</b>	<b>0.31</b>	<b>11011.78</b>	<b>11673.60</b>	<b>0.50</b>	<b>11674.10</b>	<b>13283.60</b>	<b>0.50</b>	<b>13284.10</b>	<b>16084.10</b>	...	<b>16084.10</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
21. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	84.50	...	84.50	90.00	...	90.00	110.00	...	110.00	...	...	...
22. कामगार शिक्षा और विकास हेतु दत्तोपंत थेंगडी राष्ट्रीय बोर्ड	...	...	...	...	...	...	...	...	...	103.15	...	103.15
23. राष्ट्रीय श्रम संस्थान	12.23	...	12.23	15.00	...	15.00	11.55	...	11.55	12.25	...	12.25
<b>जोड़-स्वायत्त निकाय</b>	<b>96.73</b>	...	<b>96.73</b>	<b>105.00</b>	...	<b>105.00</b>	<b>121.55</b>	...	<b>121.55</b>	<b>115.40</b>	...	<b>115.40</b>
<b>अन्य</b>												
24. श्रमिक कल्याण निधियों को/से अंतरण												
24.01 तक	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24.02 से	-9.41	...	-9.41	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	<i>निवल</i>	...	<i>-9.41</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>	<b>87.32</b>	...	<b>87.32</b>	<b>105.00</b>	...	<b>105.00</b>	<b>121.55</b>	...	<b>121.55</b>	<b>115.40</b>	...	<b>115.40</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>कार्य एवं कौशल विकास</b>												
25. रोजगार सृजन कार्यक्रम												
25.01 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कौशल और मार्गदर्शन	10.66	0.06	10.72	19.80	0.10	19.90	17.80	0.10	17.90	22.90	0.10	23.00
25.02 प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना	1255.15	...	1255.15	900.00	...	900.00	250.00	...	250.00	...	...	...
25.03 राष्ट्रीय कैरियर सेवा	43.80	...	43.80	57.00	...	57.00	32.00	...	32.00	52.00	...	52.00
<b>जोड़- रोजगार सृजन कार्यक्रम</b>	<b>1309.61</b>	<b>0.06</b>	<b>1309.67</b>	<b>976.80</b>	<b>0.10</b>	<b>976.90</b>	<b>299.80</b>	<b>0.10</b>	<b>299.90</b>	<b>74.90</b>	<b>0.10</b>	<b>75.00</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>12894.27</b>	<b>26.10</b>	<b>12920.37</b>	<b>13269.37</b>	<b>37.13</b>	<b>13306.50</b>	<b>14224.52</b>	<b>24.20</b>	<b>14248.72</b>	<b>16846.37</b>	<b>47.31</b>	<b>16893.68</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	10.66	...	10.66	18.00	...	18.00	16.00	...	16.00	21.40	...	21.40

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
2. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	12811.23	...	12811.23	11890.77	...	11890.77	12754.96	...	12754.96	15115.45	...	15115.45
3. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	63.88	...	63.88	77.00	...	77.00	71.10	...	71.10	83.60	...	83.60
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	0.06	0.06	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10
5. अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	26.04	26.04	...	37.03	37.03	...	24.10	24.10	...	47.21	47.21
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>12885.77</b>	<b>26.10</b>	<b>12911.87</b>	<b>11985.77</b>	<b>37.13</b>	<b>12022.90</b>	<b>12842.06</b>	<b>24.20</b>	<b>12866.26</b>	<b>15220.45</b>	<b>47.31</b>	<b>15267.76</b>
<b>अन्य</b>												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1275.60	...	1275.60	1382.21	...	1382.21	1615.92	...	1615.92
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	7.87	...	7.87	7.00	...	7.00	0.25	...	0.25	9.00	...	9.00
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	0.63	...	0.63	1.00	...	1.00	...	...	...	1.00	...	1.00
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>8.50</b>	...	<b>8.50</b>	<b>1283.60</b>	...	<b>1283.60</b>	<b>1382.46</b>	...	<b>1382.46</b>	<b>1625.92</b>	...	<b>1625.92</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>12894.27</b>	<b>26.10</b>	<b>12920.37</b>	<b>13269.37</b>	<b>37.13</b>	<b>13306.50</b>	<b>14224.52</b>	<b>24.20</b>	<b>14248.72</b>	<b>16846.37</b>	<b>47.31</b>	<b>16893.68</b>

- सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय के लिए व्यय
- श्रम ब्यूरो:** श्रम ब्यूरो का स्थापना व्यय
- मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, अनुसंधान एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य व्यय:** सीएलसी (सी) सीजीआईटी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के लिए स्थापना व्यय
- कारखाना सलाह सेवा महा निदेशालय (डीजीएफएसएलआई):** कारखाना सलाह सेवा महानिदेशालय (डीजीफासली) का स्थापना व्यय
- खान सुरक्षा महा निदेशालय (डीजीएमएस):** खान सुरक्षा महानिदेशालय का स्थापना व्यय
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ), अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एसोसिएशन को वार्षिक अंशदान तथा आईएलओ के क्षेत्रीय कार्यालय और रोजगार संवर्धन हेतु एशियाई क्षेत्रीय दल को आवासीय तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने हेतु निधि शामिल है।
- रोजगार महानिदेशालय:** रोजगार महानिदेशालय का स्थापना व्यय
- श्रम कल्याण महानिदेशालय:** श्रम कल्याण महानिदेशालय का स्थापना व्यय
- श्रम और रोजगार सांख्यिकी प्रणाली (एलईएसएस):** सांख्यिकी के संग्रहण और प्रकाशन, विभिन्न श्रम विषयों पर जांच, सर्वेक्षण और शोध अध्ययन करने के लिए प्रावधान करना।
- श्रम कल्याण योजनाएं:** यह स्कीम वीड्री कामगारों, सिने कामगारों तथा (i) अन्नक खानों, (ii) लौह, क्रोम, मैंगनीज अयस्क खानों (iii) चूना-पत्थर एवं डोलोमाइट खानों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण का प्रावधान करती है।
- असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय मंच का निर्माण तथा आधार संबद्ध पहचान संख्याएं आबंटित करना:** इस योजना के अंतर्गत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभों सहित विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभों का पता लगाने तथा उनकी सुपुर्दगी को सुविधाजनक बनाने हेतु एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) चालित मंच स्थापित किया जाएगा।
- असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा योजना:** असंगठित कामगारों के लिए बीमा योजना एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम है। केवल सांकेतिक राशि का प्रस्ताव किया गया है।
- कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995:** कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में ईपीएस, 1995 के सदस्यों के लिए पेंशन और सदस्य की मृत्यु के मामले में उनके सदस्यों के लिए परिवार पेंशन का प्रावधान है। यह प्रावधान कर्मचारी को निर्धारित वेतन सीमा पर देय राशि तक सीमित कर्मचारी के वेतन के 1.16% की दर से ईपीएस, 1995 में सरकार के अंशदान के लिए है। 01.09.2021 से निर्धारित वेतन सीमा 15000/-रुपये है। इसके अलावा इसमें सदस्य/विधवा (विधुर)/दिव्यांग/ नामिती/आश्रित माता-पिता पेंशन धारकों धारकों को 1000/-रुपये प्रतिमाह न्यूनतम मासिक पेंशन हेतु अनुदान-सहायता भी शामिल है।
- असम में बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा:** असम में चाय बागान कामगारों के लिए परिवार पेंशन- सह-जीवन बीमा तथा जमा संबद्ध बीमा योजना का प्रावधान है। इन स्कीमों को असम राज्य सरकार के माध्यम से प्रशासित तथा असम चाय बागान भविष्य निधि एवं परिवार पेंशन तथा कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत यह प्रावधान इस स्कीम में केन्द्रीय सरकार के अंशदान के साथ-साथ प्रशासनिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करता है।

15. **प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन:** प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों के लिए प्रतिमाह 3000/- रुपये की सुनिश्चित पेंशन का उपबंध है जो इस स्कीम के अंतर्गत अंशदान करते हैं और प्रत्येक माह एक निश्चित राशि का अंशदान करते हैं। भारत सरकार इस स्कीम के अंतर्गत समान हिस्से का अंशदान करती है।

16. **प्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन:** यह दुकानदारों/खुदरा व्यापारियों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए एक पेंशन योजना है जिसमें उन्हें स्कीम के अंतर्गत अंशदान करने और प्रत्येक माह एक निर्धारित राशि का अंशदान करने पर 3000/- रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। भारत सरकार इस स्कीम के अंतर्गत समान हिस्से का अंशदान करती है।

17. **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना:** प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना एक नव निर्मित योजना है जो नियोक्ता का 12% योगदान और कर्मचारी 12% योगदान कर्मचारी भविष्य निधि (इपीएफ) के अंतर्गत उन सभी स्थापनाओं के लिए जिनके पास 100 कर्मचारी हैं और उनमें से 90% ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी आय 15 हजार रु. प्रतिमाह से कम हो।

18. **आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना:** आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लॉकडाउन की अवधि के बाद नये रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम के रूप में शुरू किया गया। इस स्कीम में 15000/- रुपये प्रतिमाह से कम वेतन प्राप्त करने वाले नये कर्मचारियों के लिए 1000 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए ईपीएफ अंशदान में कर्मचारी के हिस्से के लिए वेतन के 12% का भुगतान करने और 1000 तक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान में ईपीएफ अंशदान के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हिस्से अर्थात् वेतन के 24% का अंशदान करने का प्रावधान है।

19. **असंगठित मजदूरों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस:** असंगठित क्षेत्र के लगभग 38 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत करने के उद्देश्य से असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटा बेस बनाने के लिए एक पोर्टल (ई-एसएनआरएम पोर्टल) शुरू किया गया है।

20. **स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान और बंधुआ श्रमिकों की सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना:** इसमें स्वयंसेवी एजेंसियों के लिए सहायता अनुदान तथा बंधुआ श्रमिकों को सहायता की प्रतिपूर्ति सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के कल्याण से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने, उनका समन्वय और कार्यान्वयन करने का प्रावधान है।

21. **केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड:** इस योजना का उद्देश्य कामगारों में जागरूकता बढ़ाना तथा उनकी देश के सामाजिक विकास में प्रभावी प्रतिभागिता के लिए शिक्षित करना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित, असंगठित, ग्रामीण तथा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा इकाई स्तरों के अनौपचारिक के देश व्यापी 50 क्षेत्रीय तथा 09 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों और मुंबई स्थित भारतीय कामगार शिक्षण संस्थान नामक सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से कामगारों के लिए बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

22. **कामगार शिक्षा और विकास हेतु दत्तोपंत थेंगडी राष्ट्रीय बोर्ड:** इस योजना का उद्देश्य देश के सामाजिक आर्थिक विकास में उनकी प्रभावी भागीदारी के लिए जागरूकता बढ़ाना और उन्हें शिक्षित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बोर्ड द्वारा पूरे देश में फैले 50 क्षेत्रीय और 9 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों के नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और इकाई स्तरों पर संगठित, असंगठित, ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्कर्स एजुकेशन।

23. **राष्ट्रीय श्रम संस्थान:** वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है। अपनी स्थापना के बाद संस्थान उन सभी जो श्रम के विभिन्न पहलू के साथ संबंधित है, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में पहुँचने के लिए शोध, प्रशिक्षण और प्रकाशन के माध्यम से प्रयास किया है।

24. **श्रमिक कल्याण निधियों को/से अंतरण:** श्रम कल्याण निधि के लिए/से अंतरण।

25.01. **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन:** इस स्कीम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विश्वास सृजन करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा इन वर्गों के उम्मीदवारों को व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने का प्रावधान है।

25.02. **प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना:** इस स्कीम को नये रोजगार का सृजन करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु तैयार किया गया है जिसमें भारत सरकार द्वारा नियोक्ताओं के अंशदान के रूप में वेतन के 8.33% का अंशदान किया जाता है तथा इसे बाद में पहले तीन वर्षों के लिए नये कर्मचारियों के लिए 12% पर संशोधित किया गया है। यह स्कीम मार्च, 2022 के वेतन माह में बंद हो जाएगी।

25.03. **राष्ट्रीय केरियर सेवा:** राष्ट्रीय केरियर सेवा परियोजना एक मिशन मोड परियोजना है जिसमें एक डिजिटल पोर्टल का प्रावधान है जो एक गतिशील प्रभावी और अनुक्रियात्मक प्रणाली में सदृश रोजगार के लिए रोजगार चाहने वालों और नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी स्तर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है।